

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-03

तृतीय सत्र

मंगलवार, दिनांक-25 अगस्त, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 04.00 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चाएँ:-

- क. पिछले दिनों से चले आ रहे मामले को लेकर पुनः झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह पर लगे आरोपों की जाँच की माँग करने लगे। दिनांक- 24.08.2015 को सदन की कार्यवाही बाधित होने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने क्षमा याचना की, परन्तु माननीय मंत्री पर लगे आरोपों के सम्बन्ध में दिये गये जवाब से वे संतुष्ट नहीं थे,
- ख. माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा सदन की कार्यवाही नियमावली के अनुसार चलने देने तथा पुनः पुरानी बातों को नहीं दोहराये जाने हेतु अनुरोध किया गया,
- ग. इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डो तथा श्री प्रदीप यादव ने भी अपनी-अपनी भावनाओं को सदन में रखा,
- घ. माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने पुनः अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी बातों को सदन के समक्ष रखा।

2. आसन से नियमन:-

आसन से निम्न नियमन हुआ- "सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे अपनी बातें सदन की गरिमा के अनुरूप ही रखें। सदन कैसे चले, यह हमें सोचना है, कटाक्ष न किया जाय।"

3. विविध चर्चाएँ (क्रमांक-1 से जारी):-

- क. माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह पर लगाये गये आरोपों के आलोक में अब दिनांक- 25.08.2015 को संध्याकाल में आवास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाये जाने सम्बन्धी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन को दी गयी,
- ख. माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह पर केस दर्ज किये जाने हेतु आग्रह किया,
- ग. माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी अपने ऊपर एन.टी.पी.सी. द्वारा की जा रही बर्बरतापूर्ण रवैये की जाँच विधान सभा समिति से कराये जाने की माँग को लेकर सदन की वेल में आ गयी, लेकिन आसन द्वारा आग्रह किये जाने पर वे पुनः अपने स्थान पर चली गयीं। इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्री आलमगौर आलम एवं श्री ईरफान अंसारी ने भी इस मामले की जाँच

कृ० प्र० उ०

(2)

विधानसभा की समिति से कराये जाने हेतु आग्रह किया। आसन द्वारा माननीय सदस्य को आरवस्त किया गया कि इस विषय पर उनसे विशेषाधिकार हनन की सूचना भी प्राप्त हुई है जिसपर कारवाई ली जा रही है,

- घ. माननीय सदस्य, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी ने पर्वतपुर कोल ब्लॉक में मिथेन गैस के रिसाव होने से इसे बन्द कर दिये जाने के कारण हजारों मजदूरों के भुखमरी के कगार पर आ जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,
- च. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के कतिपय माननीय सदस्य पुनः अपनी सीमाओं के समर्थन में अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये, लेकिन आसन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर वे सभी बैठ गये।

4. प्रश्न काल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

(क) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-56

- (i) स्थगित मात्र-01-अ० सू०-29, श्री अनन्त कुमार ओझा स० वि० स०।
(ii) अनागत कुल-55-अ० सू०-30 से अ० सू० 84 तक।

(ख) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-27

- (i) उत्तरित कुल-09-तारांकित-31, श्री नागेन्द्र महतो, स० वि० स०,
तारांकित-32, श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, स० वि० स०,
तारांकित-33, श्री नागेन्द्र महतो, स० वि० स०,
तारांकित-34, श्री जगरनाथ महतो, स० वि० स०,
तारांकित-35, श्री शशिभूषण सामाह, स० वि० स०,
तारांकित-36, श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स० वि० स०,
तारांकित-37, श्रीमती जोषा मांझी, स० वि० स०,
तारांकित-38, श्रीमती मेनका सरदार, स० वि० स० एवं
तारांकित-39, श्री योगेश्वर महतो, स० वि० स०।
(ii) स्थगित मात्र-01- तारांकित-40, श्रीमती विमला प्रधान, स० वि० स०।

(iii) अनागत कुल-17-तारांकित-41 से 57 तक।

(इस अवसर पर माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा आर्षित जतायी गयी कि माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह पर आरोप लगाया गया है, इसलिए उनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर सदन में न दिलाये जायें। परन्तु, आसन द्वारा स्पष्ट किया गया कि चूंकि माननीय मंत्री पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए माननीय नेता, प्रतिपक्ष को काले स्वीकार्य नहीं है।)

5. सूचना का दिया जाना:-

माननीय मंत्री, श्री राज पलिवार द्वारा आसन के माध्यम से सदन से आग्रह किया गया कि बाबाधाम से भंगवाये गये प्रसाद (पेड़ा) को वितरण फटल पर रखा गया है जिसे सभी माननीय सदस्य ग्रहण करने का कष्ट करेंगे।

6. शून्यकाल:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर निर्भूकित माननीय सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनाये पढ़ी -
श्री दशरथ गागराई,

कृ० पू० ३०

(3)

श्री नागेन्द्र महतो,
श्री जय प्रकाश वर्मा,
श्री जगन्नाथ महतो,
श्री राजकुमार यादव,
श्री ताला मराण्डी,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री अमित कुमार,
श्री ईरफान अंसारी,
श्री गंगोजी कुनूर,
श्री कुरावाहा शिवपूजन मेहता,
श्री हरिकृष्ण सिंह,
श्री जयप्रकाश भाई पटेल,
श्री कुपाल बहंगी,
श्री पौलुस सुरीन,
श्री बिरेन्जी नारायण,
श्री बादल,
श्रीमती निर्मला देवी,
श्री अरुण चटर्जी,
श्री योगेश्वर महतो,
श्री प्रदीप यादव,
श्री नारायण दास,
श्री रवीन्द्रनाथ महतो,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री केदार हजरा,
श्री प्रकाश राम एल
श्री जी० जे० गॉलस्टेन।

उपर्युक्त कुल प्राप्त 27 शून्यकाल की सूचनाओं को सम्बन्धित विभागों में 48 घण्टे के अन्दर उत्तर दिये जाने हेतु आसन से धोषणा की गयी।

(इस अवसर पर श्रीमती विमला प्रधाव, सं०वि०स० ने कुरदंग प्रखण्ड में अतिवृष्टि से पुलिया के टूटने, माननीय सदस्य, श्री शशिभूषण सामाड ने अपने साथ हुए दुर्घटना, माननीय सदस्य, श्री मनीष जयसवाल ने लाटू बाबू की हत्या, माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार ने मिस्ली प्रखण्ड में हाथियों द्वारा मचाये जा रहे उत्पात, माननीय सदस्य, श्री जानकी प्रसाद यादव एवं श्री मनोज कुमार यादव ने प्रयासन द्वारा हजारीबाग जिले में बन्द कराये गये क़राठे एवं खदानों, माननीय सदस्य, श्री निर्भय कुमार शाहकाली ने पोस्टीट में करंट लगने से विश्वनाथ सिंह की मृत्यु तथा माननीय सदस्य, श्री ईरफान अंसारी ने प्रदूषण का मामला उठाया।)

(शोरगुल)

7. ध्यानाकर्षण सूचनायें:-

- i- माननीय सदस्य, श्री आलमगौर आलम द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

कृ०पृ०उ०

8. प्रतिवेदन का उपस्थापन:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 216(1) के तहत सरकारी आश्वासन समिति का 27वाँ प्रतिवेदन माननीय सभापति, श्री अशोक कुमार द्वारा सदन घटल पर रखा गया।

9. वित्तीय कार्य:-

श्री सरजू राय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग" से सम्बन्धित माँग पेश की गयी।

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

अन्तराल के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

10. वित्तीय कार्य (क्रमांक-9 से जारी):-

सभी दलों को आसन द्वारा समय आर्वटन के पश्चात् उपर्युक्त माँग पर श्री प्रदीप यादव, स० वि० स० द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गयी जिसमें निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री राधा कृष्ण किशोर,

श्री आलमगौर आलम,

श्री योगेश्वर महतो,

श्री रवीन्द्रनाथ महतो एवं

श्रीमती बिमला प्रधान।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-26.08.2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रौंची,

दिनांक-25 अगस्त, 2015 ई०।

सुरील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।